भाग–III

(सम्बन्धी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

कार्य का नाम– जनपद उत्तरकाशी में मोरी तहसील के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु शून्य है0 आरक्षित तथा 22.067 है0 सिविल वन भूमि कुल 22.067 है0 वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मै0 एसजेवीएन लिमिटेड को परियोजना के मुख्य कार्यो के निर्माण हेतु 30 वर्षो की लीज पर हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक 14	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्रमांक 15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत
क्रमांक 16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	उत्तराखण्ड शासन के ऊर्जा विभाग एवं प्रस्तावक के बीच हुआ Implementation Agreement अवलोकनीय है। राजस्व विभाग के अधिकारी तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवेदित/इंगित भूमि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु न्यून एवं वैकल्पिक है। अतः उक्त वन भूमि पर भू–गर्भशास्त्री की अनुशंसाओं तथा भारत सरकार द्वारा जारी होने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित की जाने वाली शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक को अक्षरसः किये जाने की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

निदेशक
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजाजी टाइगर रिजर्व
देहरादून, उत्तराखण्ड

दिनांक: 06/08/2018

स्थान: देहरादून